

फर्द अहकाम

गोपाल बनाम रामराम

नाम न्यायालय MCM कोर्ट मुंबई

केस संख्या 66/2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	कि
	29-8-2024	<p>पञ्जवली प्रस्तुती वार्गी अधिवक्ता की तहसीलदार रामपुरा-डाबगी की रिपोर्ट पर खटम सुनी गई। तहसीलदार रामपुरा डाबगी की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि वकील एवं प्रतिवादी में सहमति हो गई है इसलिए तकासमा एवं पञ्जवली के बीच कार्यवाही करना नहीं चाहते हैं। लिखा गया है।</p> <p>रिपोर्ट में वकील एवं प्रतिवादी के हस्ताक्षर हैं। चूंकि वकील एवं प्रतिवादी में सहमति हो गई है और कोर्ट को वापस को चलाना नहीं चाहते हैं। अतः मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर वाद निस्तारित किया जाता है।</p> <p>पञ्जवली फ़ैसल शुभा देवी पञ्जवली देवी</p> <p>सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर</p>	